न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 33/2022

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
राजस्थान सरकार जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना सिणधरी		1. बस्तीदान पुत्र जवाहरदान जाति चारण निवासी डेलीतलाई वार्ड नंबर 6 पुलिस थाना पुंगल जिला बीकानेर 2. मालदान पुत्र नाथुदान जाति चारण निवासी कोडा फतेहगढ़ पुलिस थाना सागड जिला जैसलमेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री चन्द्रभानसिंह महेचा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 26.12.2022

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि दिनांक 03.10.2021 को श्री शुभकरण आरपीएस वृत्ताधिकारी गुडामालानी ने लिखित रिपोर्ट पेश कर थाना हाजा प्रकरण दर्ज करवाया कि दिनांक 03.10.2[illegible] को श्री [illegible] प्रभारी पुलिस थाना सिणधरी ने जरिये टेलिफोन [illegible] दिनांक [illegible].10.2021 को श्री सालाराम हैड कानि. 894 मय श्री म[illegible] कानि. [illegible] श्री धक्काराम का[illegible]3 जरिये सरकारी वाहन नंबर आरजे 04 चालक [illegible] बाबूलाल कानि. द्वारा [illegible]डा गोलाई वांकल विरात्रा होटल के सामने मेगा हाईवे सरहद नाकोड़ा से

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

बायोडीजल जब्त किया है। श्री सालाराम हैड कानि. 894 मय जाब्ता द्वारा उक्त दस्तयाबशुदा ट्रेक्टर मैसी फर्गयुसन 1035 डीआई चैसिस नंबर 548930 व इंजन नंबर एस324सी71203 मय टैंकर को पुलिस थाना सिणधरी परिसर में खड़ा करवाया गया है। दिनांक 02.10.2021 को रात्रि गश्त के दौरान खास मुखबिर सूचना मिलने पर नाकेड़ा गोलाई वांकल विरात्रा होटल के सामने मेगा हाईवे सरहद नाकोड़ा पर उक्त वाहन जिसके पीछे हरा रंग का टैंकर जिसपर मैसर्स प्रभूदान उज्ज्वल इंजिनियरिंग कम्पनी बाड़मेर नाम अंकित जोता हुआ खड़ा दिखाई दिया। अवैध बायोडीजल विक्रय का संदेह होने से उक्त ट्रैक्टर चालक को रूकवाकर मन हैड कानि मय जाब्ता द्वारा अपने नाम एवं पद का परिचय देकर पूछताछ करने लगा तो चालक ट्रैक्टर से उतकर भागने लगा, जिसे दस्तयाब कर नाम पता पूछा तो अपना नाम बस्तीदान पुत्र जवाहरदान बताया। ट्रैक्टर के पीछे जुते हुए टैंकर के बारे में पूछने पर उसमें बायोडीजल भरा होना बताया एवं इसका परिवहन करने बाबत लाईसेंस व परमिट तथा बायोडीजल का बिल बिल्टी नहीं पाया गया। टैंकर में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर बस्तीदान ने बायोडीजल होना बताया। टैंकर का ढक्कन खोलकर सूंघने तथा जांच करने पर टैंकर की तली में लगभग 6 इंच तक कुल 347 लीटर बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया। उक्तानुसार एफआईआर संख्या 0161 दिनांक 03.10.2021 धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दर्ज कर अन्वेषण शुरू किया गया तथा ट्रेक्टर मैसी फर्गयुसन 1035 डीआई आरजे 21 आरडी 1532 चैसिस नंबर 548930 व इंजन नंबर एस324सी71203 मय टैंकर को जब्त किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुलजिम बस्तीदान पुत्र जवाहरदान जाति चारण निवासी डेलीतलाई वार्ड नंबर 6 पुलिस थाना पूंगल जिला बीकानेर द्वारा बिना लाईसेंस/परमिट के उक्त बायोडीजलनुमा पेट्रोलियम अपने कब्जे में रखना, संग्रहण करना तथा विक्रय करना पाया गया। जो कि हाई स्पीड डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना पाये जाने से अपराध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

1955 प्रमाणित है। लिहाजा अप्रार्थीगण बस्तीदान व अन्य के विरूद्ध यह इस्तगासा पेश कर निवेदन है कि प्रकरण हाजा मय जब्तशुदा 347 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) ट्रैक्टर नंबर आरजे 21 आरडी 1532 चैसिस नंबर 548930 व इंजन नंबर एस324सी71203 का नियमानुसार निस्तारण किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जवाब हेतु नोटिस जारी किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुलिस द्वारा जब्त ट्रैक्टर मय टैंकर में 347 लीटर बायोडीजल भरा हुआ था। उक्त टैक्टर वाहन स्वामी के नलकूप पर खेती करने हेतु जनरेटर में डीजल भरने एवं खड़ाई हेतु गया था तथा वापस आ रहा था। वाहन चालक द्वारा खाली टैंकर ले जाते समय नलकूप पर डीजल की आवश्यकता हेतु डीजल पम्प से डीजल भरवाया गया उस समय पम्प मालिक ने डीजल का बिल नहीं दिया गया। वाहन चालक उसी वैध डीजल को लेकर अपने घर जा रहा था जब पुलिस ने वाहन को दस्तयाब किया। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई मुकदमा, प्रकरण अथवा दोषसिद्ध नहीं हुआ है। लिहाजा प्रकरण में वाहन चालक एवं स्वामी को बरी किया जावे तथा उनके विरूद्ध की गई कानूनी कार्यवाही ड्रॉप कर वाहन ट्रैक्टर एवं टैंकर मुक्त कर वाहन स्वामी को लौटाया जावे।

3. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से अभियोजन अधिकारी ने प्रकट किया कि बस्तीदान पुत्र जवाहरदान जाति चारण निवासी डेलीतलाई वार्ड नंबर 6 पुलिस थाना पुंगल जिला बीकानेर को अवैध रूप से पेट्रोलियम पदार्थ विक्रय करते हुए पाया गया तथा मौके से टैंकर में भरे पदार्थ के बारे में पूछने पर बस्ती[illegible]डीजल होना बताया। टैंकर के ढक्कन खोलकर सूंघने [illegible] 347 लीटर बायोडीजल भरा होना पाया गया। उक्त शख्स से बा[illegible]जल लाने, कब्जा में रखने व बेचान करने बाबत वैध अनुज्ञापत्र भी नहीं होना पाया गया। इसके जवाब में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:20 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता द्वारा प्रकट किया कि टैक्टर वाहन स्वामी के नलकूप पर खेती करने हेतु जनरेटर में डीजल भरने एवं खड़ाई हेतु गया था तथा वापस आ रहा था। वाहन चालक द्वारा खाली टैंकर ले जाते समय नलकूप पर डीजल की आवश्यकता हेतु डीजल पम्प से डीजल भरवाया गया उस समय पम्प मालिक ने डीजल का बिल नहीं दिया गया। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे से बरामद उक्त पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा निर्धारित सीमा के भीतर होने से अप्रार्थी इतना पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रखने का अधिकारी होने से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अभिमत के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह परिवाद चलने योग्य होना प्रतीत नहीं होता है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कब्जे में रखे गये पेट्रोलियम पदार्थ की मात्रा मोटर स्प्रीट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 का उल्लंघन करना नहीं पाया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध हों। ऐसे में अप्रार्थी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में तथा तथ्य की भूल के फलस्वरूप दर्ज कराया गया यह प्रकरण काबिल खारिज है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। प्रकरण में सीजशुदा उक्त 347 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ (कथित बायोडीजल) मय टैंकर एवं ट्रेक्टर नंबर आरजे 21 आरडी 1532 चैसिस नंबर 548930 व इंजन नंबर एस324सी71203 जो अस्थाई रूप से अप्रार्थी संख्या 2 को सुपुर्दगी पर दिये गये है के लिये अप्रार्थी की ओर से निष्पादित सुपुर्दगीनामा एवं जमानतनामा निरस्त किये जाकर कब्जा सरकार से एतद्द्वारा मुक्त किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 26.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:41:20 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर